



Neutral Citation No. - 2026:AHC:260

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 40989/2025

शादाब आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अशीष कुमार तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार तिवारी और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह जमानत अर्जी, मुकदमा अपराध संख्या 185/2024 (धारा 305(2), 317(2) BNS के तहत), पुलिस थाना-मंसूरपुर, जिला-मुज़फ्फरनगर में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। इसके बाद, मिली जानकारी के आधार पर, आवेदक को चार अन्य सह-आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उनके संयुक्त कब्जे से 40 मोटरसाइकिलें भी बरामद होना दिखाया गया; हालाँकि, उक्त बरामदगी का कोई निजी गवाह या वीडियोग्राफी मौजूद नहीं थी। हालाँकि, बीएनएसएस की धारा 105 के अनुसार, बरामदगी की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। इससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर संदेह पैदा होता है। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी शोएब और ओवैस को, इस न्यायालय की एक समतुल्य पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30403/2025 और 22485/2025 में, दिनांक 04.09.2025 और 22.07.2025 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; और आवेदक भी उन्हीं के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



समान स्थिति में है। अतः, आवेदक समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने उन छह आपराधिक मामलों के इतिहास के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, जिन्हें वर्तमान मामले में हुई बरामदगी के बाद आवेदक के विरुद्ध मनगढ़ंत रूप से दर्ज कराया गया था। आगे यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 16.04.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना का ज़ोरदार विरोध किया, किंतु वे उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए, तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को देखते हुए, साथ ही **कपिल वधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (एसएलपी संख्या 16953/2025, दिनांक 11.12.2025 को निर्णित)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों पर विचार करते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदक—शदाब, जो उपर्युक्त अपराध में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने होंगे:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।

iv. आवेदक, उसके द्वारा निष्पादित बॉन्ड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा; यह प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जाएगी और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

10. इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 'जमानत देने की नीति और रणनीति' से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में—जो कि 'विषय: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या- 4/2021' के तहत 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024)

10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से, ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के ज़रिए आवेदक को भेजे।

12. इस मामले के अभिलेख की जाँच करने से यह स्पष्ट है कि पुलिस ने आवेदक से मोटरसाइकिलों की बरामदगी या ज़ब्त की गई मोटरसाइकिलों की सूची तैयार करने की कोई वीडियोग्राफी नहीं की है, हालाँकि बीएनएसएस की धारा 105 के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है और ई-साक्ष्य पोर्टल पर वीडियोग्राफी अपलोड करना भी ज़रूरी है, लेकिन पुलिस ने बीएनएसएस के उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया है। यह तथ्य न केवल पुलिस की लापरवाही, बल्कि उनकी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मनमानी को भी दर्शाता है, जिससे ज़ब्त की गई वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है।

13. बीएनएसएस की धारा 105 किसी स्थान की तलाशी लेने या किसी संपत्ति अथवा वस्तुओं पर कब्ज़ा करने के संबंध में वीडियोग्राफी की प्रक्रिया निर्धारित करती है; इसमें ज़ब्त की गई सभी चीज़ों की सूची तैयार करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा 'झूठी बरामदगी' दिखाए जाने की संभावना को रोकना और साथ ही निष्पक्ष सुनवाई के लिए कानूनी साक्ष्य तैयार करना है। बीएनएसएस की धारा 105 को नीचे उद्धृत किया गया है:

105. श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख - इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा।

14. उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 का नियम 18 किसी भी स्थान की तलाशी या किसी संपत्ति को कब्जे में लेने की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का भी प्रावधान करता है। नियम 18 में यह भी प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति या स्थान की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग या तलाशी, या किसी संपत्ति, वस्तु या सामग्री को अपने कब्जे में लेना—जिसमें ज़ब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करना और उस सूची पर साक्षियों के हस्ताक्षर लेना भी शामिल है—अनिवार्य रूप से 'ई-साक्ष्य' ऐप या अन्य श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल है के ज़रिए ही किया जाएगा।

15. उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 का नियम 18(5) आगे यह प्रावधान करता है कि पुलिस महानिदेशक द्वारा ई-साक्ष्य पोर्टल पर किसी भी वस्तु की तलाशी या बरामदगी की ऑडियो और वीडियो की लाइव रिकॉर्डिंग करने, तथा उसे अपलोड और डाउनलोड

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने के संबंध में एसओपी जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, 2024 के नियम 18 को निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

18. ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग (1) किसी भी व्यक्ति या जगह की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति, वस्तु या सामग्री को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया—जिसमें तलाशी और ज़ब्ती के दौरान ज़ब्त की गई सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और उस सूची पर साक्षियों के हस्ताक्षर लेना शामिल है—अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट 'ई-साक्ष्य ऐप' या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए की जाएगी; इसके लिए, पुलिस थाने या इयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के मोबाइल फ़ोन या अन्य श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार बनाई गई श्रव्य-दृश्य केस डायरी का हिस्सा बनेगी। जहाँ तक संभव हो, वीडियो के साथ-साथ रिकॉर्डिंग के अक्षांश-देशांतर और समय को भी अभिलिखित किया जाएगा।

(2) पुलिस अधिकारी, बिना किसी देरी के, लेकिन 48 घंटे से अधिक समय के भीतर नहीं, ज़ब्त की गई वस्तुओं की सूची की एक प्रति, साक्षियों के हस्ताक्षरों और तलाशी तथा जब्ती की प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य के साथ, मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(3) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा नामित किया जाएगा; और आईसीजेएस प्लेटफॉर्म पर 'ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन' तक पहुंचने के लिए अधिकृत उपयोगकर्ता, उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवाएँ, मुख्यालय द्वारा—थाना-वार—बनाए जाएँगे।

(4) ऊपर बताए गए पुलिस थाने के अधिकृत उपयोगकर्ता एम-सेवा मोबाइल ऐप स्टोर से ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे और उन्हें आवंटित मोबाइल फ़ोन पर ई-साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकेंगे।

(5) ई-साक्ष्य पोर्टल पर लाइव होने तथा उस पर एकत्रित साक्ष्य को अपलोड और डाउनलोड करने की मानक संचालन प्रक्रिया, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा एनसीआरबी के समन्वय से निर्धारित की जाएगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. 'उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024' के नियम 18(1) और 18(2) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग को केस डायरी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और इसे 48 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।

17. पुलिस महानिदेशक, U.P., लखनऊ ने दिनांक 21.07.2025 को एक डीजीपी सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी संपत्ति की तलाशी लेने या उसे कब्जे में लेने की प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग करना, तलाशी स्थल पर या जहाँ बरामदगी की गई है, पुलिस के लिए अनिवार्य है; परंतु 'उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024' के नियम 18(5) के तहत अपेक्षित विस्तृत एसओपी, पुलिस महानिदेशक द्वारा एनसीआरबी के समन्वय से अभी तक जारी नहीं की गई है। दिनांक 21.07.2025 के पुलिस महानिदेशक परिपत्र का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

क्रम संख्या	विवरण	प्रासंगिक विधिक प्रावधान	कानूनी अधिदेश	रिकॉर्डिंग या कैप्चर करने का स्थान
-------------	-------	--------------------------	---------------	------------------------------------

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2	तलाशी और ज़ब्ती का अभिलेखन	धारा 105. श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख - इस अध्याय या धारा 185के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अधिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा। धारा 185(2) - पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। उप धारा () के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है, तो तलाशी स्वयं	अनिवार्य	तलाशी का स्थान, जहाँ से बरामदगी की जानी है
---	----------------------------	---	----------	--

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



		लेगा। परंतु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी श्रव्य द्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अधिमानता: मोबाइल फोन द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी।		
--	--	--	--	--

18. इस न्यायालय के समक्ष ऐसे अनेक मामले आए हैं, जिनमें किसी वस्तु की बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिल सका; और इसके बावजूद, पुलिस द्वारा 'ई-साक्ष्य' पोर्टल अथवा अन्य ऑडियो, वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से रिकॉर्डिंग नहीं की गई, जिसका लाभ अपराधियों को ज़मानत के साथ-साथ विचारण के दौरान भी मिलता है।

19. इसलिए, यह न्यायालय उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को निर्देश देता है कि वे 'उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024' के नियम 18(5) के अनुसार, तलाशी, ज़ब्ती या संपत्ति अथवा अन्य दोषसिद्ध करने वाली सामग्री को कब्जे में लेने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग करने के लिए विस्तृत एसओपी जारी करें, इस प्रक्रिया में ज़ब्त की गई वस्तुओं या संपत्ति की सूची तैयार करना, साथ ही 'ई-साक्ष्य' पोर्टल पर गवाहों के हस्ताक्षर लेना और उसे अपलोड करना—अथवा अन्य ऑडियो, वीडियो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, जिनमें ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं, का उपयोग करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश भी जारी किया जा सकता है कि यदि 'बीएनएसएस' की धारा 105, जिसे 'उत्तर प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा नियम, 2024' के नियम 18 के साथ पढ़ा जाए, की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने में कोई चूक होती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि एक ओर तो निर्दोष व्यक्तियों को संपत्ति या वस्तुओं की झूठी बरामदगी दिखाकर झूठे मुकदमों में फंसाए जाने से बचाया जा सके, और दूसरी ओर, अपराधियों के विरुद्ध ऐसे पुख्ता साक्ष्य तैयार किए जा सकें जो ज़मानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान और साथ ही विचारण के दौरान भी उपयोगी सिद्ध हों।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



20. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन हेतु इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, उ.प्र., लखनऊ को प्रेषित करें।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

एस.सी.

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"